

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 3811/2026

Antriksh Gargi S/o Shri Kuldeep Chand Gargi, Aged About 34
Years, R/o 13 Sadar Bazar, Sri Ganganagar (Raj)

-----Petitioner

Versus

1. Smt. Preeti Nirwan W/o Ashok Nirwan, R/o 188/18
Nearby Chhotu Ram Park, Civil Road, Rohtak (Haryana),
At Present Flat No. 111, B Block, Grand Geejgarh, Hawa
Sadak, Near 22 Godam, Jaipur (Raj)
2. General Manager, Indian Oil Corporation Limited, Indian
Oil Bhawan, Ashok Chowk, Near Radha Swami Satsang
Bhawan, Aadarsh Nagar, Jaipur (Raj)
3. Senior Regional Manager, Indian Oil Corporation Limited,
Divisional Office, 12 Chopasani Housing Board, Chopasani
Road, Jodhpur (Raj)
4. General Public Enlarge, R/o

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Tirupati Chandra Mr. Abhishek Aggarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Thanvi

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

04/05/2026

याची-अप्रार्थी संख्या-4 की ओर से यह रिट याचिका विद्वान जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा सिविल प्रकीर्ण (उ.अधि.) प्रकरण संख्या 3/2015 प्रीति निर्वाण बनाम हरखास आम व अन्य (सी.आई.एस. नम्बर 1/2015) में पारित आदेश दिनांक 14.10.2025, जिसके माध्यम से याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि इस मामले से सम्बन्धित मूल प्रकरण संख्या-3/2015 उनवानी श्रीमती प्रीति निर्वाण बनाम हरखास व आम (जो धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतका श्रीमती स्नेहलता द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांकित 19.2.2013 पर प्रोबेट एवं लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था) को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.4.2026 को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। अतः अन्तर्वर्ती (Interlocutory) आलौच्य आदेश दिनांक 14.10.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत यह रिट याचिका अब निष्फल हो चुकी है।

परिणामतः यह रिट याचिका मूल प्रकरण संख्या 3/2015 का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाने के परिणामस्वरूप निष्फल (Infructuous) होने से निरस्त की जाती है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्य कोई प्रार्थना पत्र जो लम्बित हो, निरस्त किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J